मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.09.2012 द्वारा गठित 'राज्य स्तरीय समिति' की आहूत बैठक दिनांक 17.12.2013 का कार्यवृत्त

बैठक में सर्वप्रथम श्री यशवन्त राव, विशेष सचिव, नगर विकास द्वारा उपस्थित सदस्यों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में पारित किये गये विभिन्न आदेशों तथा भारत सरकार के निर्देशों से अवगत कराते हुए **"राज्य स्तरीय समिति"** के कार्य–कलापों एवं दायित्वों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए **"राज्य स्तरीय समिति"** के सदस्यों का अवगत कराया गयाः–

(1) समस्त स्थानीय नागर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) के अन्तर्गत स्थापित पशुवधशालाओं को चिन्हित कर उनकी सूची बनाना।

(2) विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों एवं जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन से पशुवधशालाओं की स्थिति/कियान्वयन की सूचना प्राप्त किया जाना तथा पशुवधशालाओं के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्राविधानित प्राविधानों का अनुपालन किये जाने की स्थिति की समीक्षा किया जाना।

(3) विद्यमान पशुवधशालाओं के आधुनिकीकरण तथा आबादी क्षेत्र में आ गयी पशुवधशालाओं को आबादी क्षेत्र से बाहर किये जाने की संस्तुति किया जाना।

(4) पशुवधशालाओं से जनित अपशिष्ट पदार्थों (ठोस एवं द्रव) के निस्तारण, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने तथा पशुवधशालाओं में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विभिन्न उपायों की संस्तुति करना।

(5) पशुवधशालाओं में नियमित रूप से एवं आकस्मिक रूप से निरीक्षण कर उसके संचालन में पायी गयी कमियों के सुधार हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया जाना।

(6) प्रत्येक वर्ष में राज्य में स्थापित पशुवधशालाओं के संचालन के विषय में पशुवधशालाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति को 02 बार रिपोर्ट प्रेषित किया जाना एवं पशुवधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में यदि राष्ट्रीय समिति अथवा भारत सरकार से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाना हो, के विषय में सूचना प्रेषित किया जाना।

(7) नये पशुवधशालाओं हेतु लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु स्वीकृति दिया जाना।

(8) प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित पशुवधशालाओं एवं ऐसे स्थानों जहॉ पर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विरूद्व एवं अवैध रूप से पशुओं का वध किया जा रहा हो, ऐसे स्थलों का जिलाधिकारी एवं अन्य विहित प्राधिकारियों की सहायता से ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना।

(9) पशुवधशालाओं में बालश्रम का उन्मूलन किया जाना।

2. **"राज्य स्तरीय समिति"** के उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों कों अवगत कराया गया कि इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि समिति के सदस्य अपने–अपने कार्यक्षेत्र में पशुवधशालाओं की सूची जिलाधिकारी/जिला पंचायत/नागर निकायों से मांग कर इन पशुवधशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर सकते हैं। पशुवधशालाओं के निरीक्षण में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना होगा –

(1) पशुवधशालाओं को जितने पशुओं का कटान किये जाने हेतु लाइसेंस निर्गत किया गया है, क्या पशुवधशालाओं द्वारा उससे अधिक पशुओं का कटान तो नहीं किया जा रहा है ?

(2) पशुवधशालाओं में पशुओं के कटान से पूर्व एवं बाद में उनका परीक्षण (एन्टीमार्टम एवं पोस्तमार्टम) किया जा रहा है अथवा नहीं।

(3) पशुवधशालाओं में जितने पशुओं का कटान किया जा रहा है, क्या मानक के अनुसार उतने पशु चिकित्साधिकारी पशुवधशालाओं में तैनात हैं अथवा नहीं?

(4) पशुवधशालाओं में तैनात पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नियमित रूप से पशुवधशाला में लाये गये पशुओं का परीक्षण किया जा रहा है या नहीं?

(5) निर्धारित मानक के अनुसार एक पशु चिकित्साधिकारी एक घंटे में अधिकतम 12 पशुओं का परीक्षण कर सकता है, इस प्रकार 8 घंटे में अधिकतम एक पशु चिकित्साधिकारी द्वारा 96 पशुओं का ही परीक्षण किया जा सकता है। निर्यातोन्मुखी पशुवधशालाओं में पशुओं की कटान हेतु पशुओं की संख्या 300 से लेकर 1200 तक प्रतिदिन निर्धारित है। अतः निरीक्षण में विशेष रूप से यह देखना अत्यन्त आवश्यक है कि क्या उन पशुवधशालाओं में मानक के अनुसार उतने ही पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं अथवा नहीं?

(6) समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि शासदादेश संख्या–2303/9–8–2012–15 (रिट) /2012 दिनांक 22 अगस्त, 2012 द्वारा प्रत्येक पशुवधशाला में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने के निर्देश जारी किये गये थे, जो 24 घंटे चालू रहेंगे। पशुवधशाला के निरीक्षण में यह भी देखा जाय कि सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हैं अथवा नहीं और यह 24 घण्टे कार्य कर रहे हैं या नहीं?

3. पशुवधशालाओं का **"राज्य स्तरीय समिति"** के सदस्यों का निरीक्षण किये जाने के समय जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनके साथ सहयोग के लिए रहेंगे तथा निरीक्षण में जो भी कमियां पायी जाय उनका निराकरण किया जाना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/पुलिस प्रशासन का होगा।

4. बैठक में **"राज्य स्तरीय समिति"** के सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस समिति का गठन मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशाला के संचालन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में दायर रिट याचिका सिविल 309/2003 श्री लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के अंतर्गत पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में किया गया है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार इसकी सुनवाई की जा रही है एवं **"राज्य स्तरीय समिति"** के द्वारा की गयी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में Action taken report दाखिल किया जाना है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में Action taken report दायर किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित निर्यातोन्मुखी पशुवधशालाओं से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी :–

फिर

क्रम सं0	जनपद का नाम	**Action Taken Report**
1	सहारनपुर	(1) जिलाधिकारी के पत्र संख्या– 652/एल0बी0सी0 दिनांक 09.12.2013 के अनुसार माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 2013 मे 38 अभियोग पंजीकृत कर 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 186 पशुओं को छुड़ाया गया तथा लगभग 138 कुन्तल 90 कि0ग्रा0 मांस नष्ट कराया गया। जिला पंचायत के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति पशुवधशाला मेसर्स एलम इण्डस्ट्रीज लि0 हरौड़ा नियमानुसार संचालित है। इस पशुवधशालामें 14 पशुचिकित्सक तैनात है।
2	रामपुर	जिलाधिकारी ने अपने प.सं0–1491(1)/मु0प0अ0 दिनांक 12 दिसम्बर 2013 के द्वारा अवगत कराया है कि जनपद में संचालित निर्यातोन्मुखी पशुवधशाला/खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, पशुवधशाला में निर्धारित पशुकटान की संख्या का पालन किया जा रहा हैं । **जनपद में अनाधिकृत रूप से कोई पशुवधशाला संचालित नहीं है।**
3	गाजियाबाद	जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या–4902/जे0ए0–2/2012– 13 दिनांक 11.12.2013 द्वारा प्रेषित आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है :– **1–मैं इगल कान्टिनेटल फूड्स प्रा0लि0 –** उक्त कंपनी में उनका ई0टी0पी0 प्लान्ट चालू अवस्था में पाया गया, परन्तु विद्युत मीटर की रीडिंग में प्लान्ट के भार क्षमता के अनुसार कम पायी गयी। यह कहा जा सकता है कि उक्त कंपनी में ई0टी0पी0 प्लान्ट चालू नहीं रखा जाता है, जैसा कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग की आख्या से भी स्पष्ट है कि प्लान्ट के भार के अनुरूप आने वाली रीडिंग की जांच के संबंध में स्पष्ट आख्या विद्युत विभाग से प्राप्त कर, नियमानुसार फर्म के विरूद्य कार्यवाही की जाय। 2–कटान के लिए आने वाले महिषवंशी पशुओं में कंपनी के मैनेजर व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार औसतन 7 प्रतिशत पशु ही रिजेक्ट किये जाते है, जबकि एक बेंडे की जांच मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से कराये जाने पर 26 भैसों में 6 भैसों में दूध निकलता हुआ पाया गया। जिसके अनुसार रिजेक्शन का अवसर लगभग 23 प्रतिशत होता है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त कंपनी में पशुओं की जांच का कार्य सही प्रकार से नहीं किया जाता है। **2– अलनफीस फोजन फूड्स प्रा0लि0–**

		1– उक्त कंपनी में उनका ई0टी0पी0 प्लान्ट चालू अवस्था में पाया गया परन्तु मीटर की रिडिंग प्लान्ट के भार क्षमता के अनुसार कम पायी गयी। यह कहा जा सकता है कि उक्त कंपनी में ई0टी0पी0 प्लान्ट चालू नहीं रखा जाता है, जैसा कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग के संलग्न आख्या से भी स्पष्ट है कि प्लान्ट के भार के अनुरूप आने वाली रीडिंग की जांच के संबंध में स्पष्ट आख्या विद्युत विभाग से प्राप्त किया जाना समीचीन होगा। 2– कटान के लिए आने वाले महिषवंशी पशुओं में कंपनी के मैनेजर व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार औसतन 7 प्रतिशत पशु ही रिजेक्ट किये जाते है, जबकि एक बेंडे की जांच मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से कराये जाने पर 22 भैसों में से 4 भैसों में दूध निकलता हुआ पाया गया। जिसके अनुसार रिजेक्शन का अवसर लगभग 20 प्रतिशत होता है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त कंपनी में पशुओं की जांच का कार्य सही प्रकार से नहीं किया जाता है। 3– उक्त कंपनी के कैम्पस में मेन प्रोसेसिंग प्लान्ट से हटकर ई0टी0पी0प्लान्ट के पीछे की ओर एक बडा हाल पाया गया जिसका ताला बन्द था। पूछे जाने पर कंपनी के मैनेजर के द्वारा बताया गया कि यह हाल खाली पड़ा है एवं किसी कार्य में नहीं आता है उक्त हाल हाईड रूम कहा जाता है। जिसका ताला खुलवाये जाने पर उक्त हाल में पानी से धुला हुआ पाया गया। कुछ जगह पर भैसों की खाल पर नमक डाल कर रखा हुआ पाया गया। उक्त हाल में दूसरे किनारे पर दो ट्रैक्टर ट्राली खडे थे। जिनमें पशुओं की आंतडिया संदिग्ध परिस्थितियों में भरी थी। उक्त के पीछे जाकर निरीक्षण करने पर पशुओं के बाधने की रस्सियां व गोबर पाया गया। संदेह होने पर उक्त हाल के पीछे कार्य कर रहे मजदूरों से बातचीत करने पर एक मजदूर द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा शाम के समय हाइड रूम में छोटी व जवान भैसों को आते हुए व बधे हुए देखा है । उक्त हाल मुख्य प्लान्ट से काफी दूरी पर है वहां पर किसी भी पशु को लाये जाने का फैक्ट्री के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को नियमानुसार अधिकार नहीं है हाईड रूम में पायी गयी खालों व आंतडियों की जांच मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा करायी। उनके द्वारा भी आख्या में बताया गया है कि उक्त खाल व अतडिया जवान महिषवंशीय पशुओं की है। **अतः जिलाधिकारी गाजियाबाद, पशुधन विभाग, उ0 प्र0 पावर**

		कारपोरेशन लि0 तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से फर्म के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करायें तथा कृत कार्यवाही से सदस्य सचिव/निदेशक, नगरीय निकाय को अवगत करायें। पशुवधशालाओं के संचालन हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति माह में एक बार रैण्डम चेंकिग करे तथा पशुवधशाला में निर्धारित मानकों का पालन न होने पर उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाही करें।
4	**अमरोहा**	जिलाधिकारी के पत्र संख्या–1972/सी0बी0ओ0/2013 दिनांक 10.12.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में पशुबधशाला अमरोहा, हसनपुर ,उझारी चल रही है। निजी क्षेत्र की एक मात्र एक्स्पोर्ट ओरिएन्टेड **सलाटर हाउस मेसर्स ए0क्यू0 फाजन फूड्स प्रा0 लि0 बछरायूँ प्रदूषण** **नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 10.9.2013 से अग्रिम आदेशों तक बन्द है।**
5	**फिरोजाबाद**	जिलाधिकारी के पत्र संख्या–1942/स्था0 नि0 सहा0 दिनांक 9.12.2013 के द्वारा **दो निजी पशुबधशाला स्थापित है जो विगत 18 माह से स्वयं के कारणों से बन्द है।**
6	**बाराबंकी**	जिलाधिकारी के पत्र सं0 117/ए0जे0ए0–द्वितीय /पशुवधशाला दिनांक 13 दिसम्बर 2013 के अनुसार दिनांक 10.12.2013 पूर्वाहन 11.00 बजे गठित कमेटी द्वारा **अमरून फूड्स प्रा0लि0, कुर्सी,बाराबंकी का औचक निरीक्षण किया गया। उपरोक्त निरीक्षण के दौरान पाये गये बिन्दु निम्नलिखित है–** **1.** फैक्ट्री का लाईसेंस जिला परिषद क्षेत्र समिति प्रपत्र सं0 25, प्रमाण पत्र सं0 004025 द्वारा वर्ष 2013–14 हेतु जारी किया गया है। **2.** एपीडा मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स द्वारा अधिकृत मीट प्रोसेसिंग हेतु सार्टिफिकेट जारी किया गया है । **3.** उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पत्रांक सं0 एफ040472 दिनांक 18.11. 2008 को जारी किया गया । **4.** पशुवध के पूर्व एण्टीमॅर्टम तथा पशुवध के उपरान्त पोस्टमार्टम पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जिसके अभिलेख समिति द्वारा अवलोकित किये गये है। **5.** फैक्ट्री में सी0सी0टी0 कैमरा सूचारू रूप से सभी बिन्दु पर कार्यरत

		पाया गया। **6.** प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। एवं पशुवधशाला से जनित उत्प्रवाह उत्सर्जन के लिए प्लान्ट लगा हुआ है जो निरीक्षण के समय कार्यशील पाया गया। **7.** निरीक्षण के समय संबंधित पशुचिकित्साधिकारी उपस्थित पाये गये जिन्होंने एण्टीमार्टम एवं पोस्टमार्टम अभिलेखों को अवलोकित कराया गया।
7	**शामली**	जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 08.12.2013 में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 08.12.2013 द्वारा गठित समिति द्वारा मेसर्स भीम एग्रो फूड प्रा0लि0 कांधला रोड कैराना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें शासन क निर्देशों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों तथा पशुकूरता सम्बन्धी नियमों का पालन होता पाया गया।
8	**मुजफ्फरनगर**	जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 09.12.2013 में अवगत कराया गया है कि उनकी अध्यक्षता में जनपद में संचालित पशुबधशालाओं का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान उद्योग में रेण्डरिंग प्लांट से जनित उत्प्रवाह व स्लाट्रिंग से जनित उत्प्रवाह एवं फ्लोर वाशिंग से जनित उत्प्रवाह को शुद्धीकृत करने हेतु इ0टी0पी0 से उत्प्रवाह का शुद्धीकरण किया जता है जनित उत्प्रवाह की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पायी गयी उद्योग द्वारा स्थापित प्रदूषणनियंत्रण व्यवस्था मानकों के अनुरूप हैं तथा उद्योग द्वारा राज्य बोर्डके निर्देशो का पालन किया जा रहा है उद्योग द्वारा इ0टी0पी0 पर एनर्जी मीटर स्थापित कर लांग बुक का प्राविधान किया गया हैं। उद्योग की जनित उत्प्रवाह क्षमता 320 कि0ली0 प्रतिदिन तथा इ0टी0पी0 की क्षमता 600 कि0ली0 प्रतिदिन है। उत्प्रवाह को हाइड्रोलिक एवं आर्गेनिक रूप से शुद्धीकृत किया जाता हैं उद्योग से जनित सोलिड वेस्ट (हड्डी व चर्बी)के निस्तारण हेतु रेण्ड्रिंग प्लांट 100 टन प्रतिदिन क्षमता का स्थापित है, जिनमें टेलो व बोन मील का उत्पादन किया जाता है तथा जनित उत्प्रवाह को ब्लड कोआगुलेशन के माध्यम से ब्लड पाउडर बनाया जाता है।
9	**अलीगढ़**	उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी, द्वारा दिनांक 22.11.2013 को हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 व अलहन्द एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा0 लि0, अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्रा0लि0 व फ्रिगेरियो कन्जर्वा अल्लाना को अलीगढ़ ड्रेन में रंगीन उत्प्रवाह पाये जाने पर नोटिस दी गयी है। इसी प्रकार अल–तबारक फ्रोजन फूडस व अल–हसन एग्रो फूडस को दिनांक 26.11.2013 के द्वारा अलीगढ ड्रेन में उत्प्रवाह रंगीन होने के कारण नोटिस दिया गया है।

		(1) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ द्वारा निम्न सारिणी के अनुसार माह अप्रैल, 2013 से 03 दिसम्बर, 2013 तक अभियान चलाकर पशुक्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार 338 गोवंशीय व 214 महिष वंशीय पशुओं को पकड़ा गया तथा इन पशुओं का इलाज किया गया तथा अवैध काम में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 3/8 गोबध अधिनियम और 11 पशुक्रूरता के अन्तर्गत सम्बन्धित थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। (2) अपर जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ के पत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2013 के द्वारा एच0एम0ए0एग्रो0 इण्डस्ट्रीज लि0 पशुबधशाला में दुर्गन्ध पायी गयी। इस कारण नगर मजिस्ट्रेट अलीगढ को धारा–133 द0प्र0स0 के अन्तर्गत कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। (3) अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अलीगढ़ के पत्र दिनांक 04.09.2013 के अनुक्रम में हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज लि.0 अलीगढ़ का संयुक्त निरीक्षण कराया गया, निरीक्षण के समय बदबू की समस्या पायी गयी उद्योग परिसर तथा आस पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध पायी गयी अनूपशहर रोड पर छेरत नाला में रंगीन रैडिश प्रकृति का उत्प्रवाह पाया गया जिसका नमूना एकत्र कर विशलेषण हेतु लिया गया । (4) एच0एम0ए0एग्रो0 इण्डस्ट्रीज लि0 पशुबधशाला का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.09.2013 किया गया निरीक्षण के समय क्षमता से अधिक पशुओं का कटान पाया गया तथा इ0टी0पी0 का रखरखाव समुचित नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के दौरान 02 पशु गर्भित पाये गये साफ सफाई संतोष जनक नहीं पायी गयी। कम्पनी से निकलने वाला जल प्रदूषित पाया गया। क्षेत्र में व्यापक दुर्गन्ध पाया गया सयुंक्त समिति द्वारा इनके विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। (5) मेसर्स अल–हन्द फूडस प्रोडक्टस प्रा0लि0 में नियमानुसार पशुबधशाला संचालित पायी गयी है। (6) मेसर्स अल–तबारक फ्रोजन फूड प्रा0 लि0 पशुबधशाला में संयुक्त समिति के निरीक्षण के दौरान रेण्डरिंग प्लान्ट नहीं पाया गया। (7) अल–दुआ फूडस लि0 पशुबधशाला संयुक्त निरीक्षण के समय सिंचाई विभाग के नाले को देखा गया जहां मोटी प्रति पायी गयी तथा अत्यन्त दुर्गन्ध पाया गया जिससे स्पष्ट है कि पशुबधशाला के उत्प्रवाह के कारण पशुअंग पशुबधशाला में विखरे हुए पाये गये। (8) मेसर्स फ्रिगेरिया कन्सर्वा अल्लाना पशुबधशाला का निरीक्षण 07.09.

		2013 को किया गया निरीक्षण के समय मांस की बदबू व दुर्गन्ध पाया गया । (9) दिनांक 17.04.2013 को मुख्य चिकित्साधिकारी, अलहन्द एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा0लि0 का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय इ0टी0पी0 का संचालन संतोषजनक नहीं पाया गया। सी0सी0टी0बी0 कैमरा लैरेज व मुख्य द्वारा पर अकियाशील पाया गया । दिनांक 01.06.2013 को मेसर्स अल–हन्द फूड प्रोडक्टस का निरीक्षण किया गया लैरेजज में एन्टी मार्टम पशुचिकित्सकों द्वारा नहीं किया जा रहा था वहां पर 800 पशु मिले है जो पशुवधशाला अधिनियम 2001 का उल्लंघन है। लैरेजेज में सी0सी0टी0बी0 कैमरा अकियाशील पाया गया । (10) मै0 अलहम्द फूड प्रोडक्टस इलियासपुर अलीगढ के आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया कि फैक्ट्री में पशुक्रूरता अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रबन्धक द्वारा भी कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया गया फैक्ट्री में इ0टी0पी0 प्लान्ट चालू हालत में मिला किन्तु इ0टी0पी0 के आस–पास काफी गन्दगी मिली जिसे साफ करने हेतु निर्देश दिये गये। स्लाटर एरिया में पशुबध का कार्य कम्पनी के पशुचिकित्सको की देख रेख में संचालित होना पाया गया । रेण्डरिंग प्लान्ट एवं सी0सी0टी0बी0 कैमरे चलते हुए पाये गये। **जनपद–अलीगढ में निर्यातोन्तमुखी पशुवधशालाओं के निरीक्षण में पायी गयी कमियों को समिति ने अत्यन्त ही गंभीरता से लिया गया तथा जिलाधिकारी अलीगढ़, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुधन विभाग के अधिकारी अभियान चलाकर सम्बन्धित फर्मो के विरूद्व मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन न होने के कारण दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।**

(कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश)

5. पशुवधशालाओं में पशुओं के प्रतिक्रूरता को रोकने के लिए पशुधन विभाग तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाती है। पशुक्रूरता के मामलों में गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा प्रदेश में दिनांक 01.04.2013 से 31.07.2013 तक पशुक्रूरता के मामलों में कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है:–

(क) प्रदेश के समस्त जनपदों में पशुक्रूरता से सम्बन्धित दर्ज मामलों की संख्या–1157

(ख) पशु बरामदगी की संख्या–20375

(ग) पशुक्रूरता के लिए निरूद्ध किये गये व्यक्तियों की संख्या–4211

(घ) पशुक्रूरता से सम्बन्धित मामलों में दण्डात्मक कार्यवाहियों की संख्या–345

6. गृह विभाग/पुलिस विभाग के प्रतिभाग करने वाले सदस्य से अपेक्षा की गयी कि पशुक्रूरता से सम्बन्धित उपर्युक्त बिन्दुओं की अद्यतन सूचना उपलब्ध करा दें तथा भविष्य में इसकी मासिक रिर्पोट सदस्य सचिव/निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करा दें।

7. बैठक में राज्य स्तरीय समिति के सदस्य एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में कुल–155 पशुवधशालाएं चिन्हित की गयी हैं जिनमें 124 स्थानीय नागर निकायों के अधीन, 03 निजी पशुवधशालाएं तथा 28 निजी निर्यातोन्मुखी पशुवधशालाएं है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण बोर्ड द्वारा 63 पशुवधशालाओं को बंन्दी आदेश निर्गत किये गये है। 21 पशुवधशालाएं बन्दी आदेश की अवहेलना करते हुए वर्तमान में संचालित है।

सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अप्रैल, 2013 से दिनांक 24.12.2013 तक की तिथि तक 15 पशुवधशालाओं के विरूद्व बन्दी आदेश निर्गत किये गये है तथा 07 पशुवधशालाओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को बोर्ड द्वारा पुनः पत्र निर्गत किये गये है तथा निजी क्षेत्र की 28 निर्यातोन्मुखी पशुवधशालाओं में 02 पशुवधशालाओं को बन्दी आदेश तथा 01 पशुवधशाला को कारण बताओं नोटिस दिया गया है।

समिति द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिन पशुवधशालाओं को बन्दी आदेश जारी किये गये हैं एवं इसके बावजूद वह संचालित है तो इसके विरूद्व अग्रेतर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, क्योंकि मा0 प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है। अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलतान बरती जाय। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

8. **"राज्य स्तरीय समिति" के सदस्यों द्वारा समिति के समक्ष विभिन्न जनपदों की Action Taken Report**, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पशुक्रूरता से सम्बन्धित मामलों में गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या का संज्ञान लेते हुए निम्न निर्णय लिए गये :–

(1) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत पशुवधशालाओं के लिए लाइसेंस दिये जाने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के दायित्वों में सम्मिलित है। अतः प्रदेश में पशुवधशालाओं को नये लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे वह राज्स सरकार की अनुमति से ही जारी किये जायेंगे। चूंकि इस समिति में नगर विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुवध निभाग, गृह विभाग, श्रम विभाग, पंचायतीराज विभाग, पर्यावरण विभाग, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, उत्तर

form

प्रदेश आदि समिति के सदस्य है अतः सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में नयी पशुवधशालाओं के लिए कोई लाइसेंस बिना समिति की अनुमति के निर्गत न हो।

(कार्यवाही– समिति के समस्त सदस्यगण/समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश/सदस्य सचिव,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/निदेशक, नगरीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ)

(2) पशुवधशालाओं से निकलने वाले बायो वेस्ट से वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण होने के कारण महामारी फैलने का भी खतरा रहता है तथा पशुवधशाला के निकटस्थ रहने वाली आबादी को भी दुर्गन्ध तथा जल प्रदूषण की समस्या रहती है। अतः शासनादेश दिनांक 22.08.2012 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन समस्त पशुबधशालाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाय, जिसके अन्तर्गत बायोवेस्ट के सही निस्तारण के लिये पशुवधशालाओं में रेन्डरिंग प्लान्ट/ बायोडाइजेस्टर/स्लाटर हाउस वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट लगाये जायें। पशुवधशालाओं के निरीक्षण में यह भी देखा जाय कि पशुवधशालाओं में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार पशुवध से जनित वेस्ट के निस्तारण हेतु आवश्यक उपकरण लगे हैं अथवा नहीं। यह उपकरण सुचारू रूप से संचालित है अथवा नहीं इसकी जानकारी भी बिजली की खपत से ज्ञात हो सकती है।

(कार्यवाही–सदस्यगण/सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/निदेशक, नगरीय निकाय/समस्त जिलाधिकारी)

(3) पशुवधशालाओं में बाल श्रम रोके जाने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई तथा बैठक में श्रम विभाग के सदस्य द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि श्रम विभाग द्वारा शासन स्तर से पशुवधशालाओं में बाल श्रम रोके जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं। समिति द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण पशुवधशालाओं का निरीक्षण करें और यदि कहीं पर बाल श्रमिक पाय जाये तो संबंधित पशुवधशाला के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर समिति को अवगत कराया जाय। श्रम विभाग के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि पशुवधशालाओं में कार्य करने वाले श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है अथवा नहीं ?

(कार्यवाही– सदस्यगण/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग)

(4) समिति द्वारा बैठक में गृह विभाग/पुलिस विभाग से यह अपेक्षा की गयी कि पशु बाजार/पशु मेला तथा साप्ताहिक पशु बाजारों में पुलिस विभाग द्वारा अस्थायी रूप से पुलिस चौकियों की स्थापना की जाय। यह भी अनुमान है कि बड़ी संख्या में पशु पड़ोसी राज्यों से इस प्रदेश में लाकर काटे जा रहे हैं, जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की ही है। अतः पशु चोरी, पशुओं की तस्करी आदि को रोकने में पुलिस विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जायें। पशु बाजार/पशु मेला में क्रेता/विक्रेता का नाम, मोबाइल न0, वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि भी नोट किया जाय। इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश गृह विभाग के द्वारा जारी किये जाने तथा कृत कार्यवाही की मासिक रूप से रिपोर्ट सदस्य सचिव/निदेशक, नगरीय निकाय के माध्यम से समिति को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, गृह विभाग/निदेशक, नगरीय निकाय,उत्तर प्रदेश)

(5) बैठक में खाद्य एवं औषधि विभाग से अपेक्षा की गयी कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से 28 निर्यातोन्मुखी पशुवधशालाओं का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाय, जो यह सुनिश्चित कर सकें कि पशुवधशालाओं के मांस की गुणवत्ता में कोई कमी न हो। इसके अतिरिक्त खाद्य निरीक्षक बाजार में मिलने

वाले मांस की गुणवत्ता की भी चेंकिग समय–समय पर किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मांस की गुणवत्ता पर कंही कमी न हो, यदि मांस की गुणवत्ता में कंही भी कोई कमी पायी जाती है तो सम्बन्धित फर्म के विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग/निदेशक, नगरीय निकाय/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश)

(6) समिति द्वारा विभिन्न जनपदों से प्रेषित Action Taken Report का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिये गये कि किसी भी पशुवधशाला में कोई दुधारू पशु अथवा नवजात पशु का कटान न हो यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व पशुधन विभाग/गृह विभाग का है क्योंकि पशुक्रूरता से सम्बन्धित मामलों का अनुश्रवण एवं दिशा–निर्देश जारी किये जाने का निर्देश पशुधन विभाग/गृह विभाग का ही है।

(7) विभिन्न नगर पालिका परिषदों/नगर निगमों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप पशुवधशालाओं का संचालन न होने पर चिंता व्यक्त की गयी तथा उपस्थित नागर निकायों से स्थानीय आपूर्ति के दृष्टिगत डी.पी.आर. तैयार कराकर वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार को तत्काल प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी तथा भारत सरकार में उसका पर्याप्त अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिये गये।

9. नागर निकायों द्वारा स्थानीय आपूर्ति हेतु संचालित की जा रही पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण किये जाने के बिन्दु पर सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश से यह अपेक्षा की गयी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों/आवश्यक उपकरणों के आधार पर न्यूनतम वित्तीय उपाशय को ध्यान में रखकर 25 से 50 पशुओं के पशुकटान के दृष्टिगत एक माडल डी.पी.आर. विभाग को उपलब्ध करा दे ताकि उसे नागर निकायों में परिचालित करते हुए उनसे डी.पी.आर. तैयार करायी जा सके।

तदनुसार बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

सी0बी0 पालीवाल
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–8
संख्या– 65 /9–8–14–2सीएस/12टी0सी0
लखनऊ दिनांक07 जनवरी, 2014

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुशधन विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग, पंचायतीराज विभाग, पर्यावरण विभाग।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।